दुर्घटना ▶ बस, टैंकर ने मचाया तांडव, बोर्ड से टकराई कार

बेलगाम रफ्तार ने ली 4 युवकों की जान, 7 घायल

नवभारत, जबलपुर। बेलगाम वाहनों की रफ्तार ने चार युवकों की जान ले ली। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में चार मौतों के साथ सात लोग घायल भी हुए। सिहोरा थाना सिहोरा थाना अंतर्गत अंतर्गत उल्दना ब्रिज के पास एनएच 30 रोड किनारे लगे बोर्ड से तेज रफ्तार कार शनिवार सुबह टकरा गई जिसमें कार सवार की मौत हो गई। वहीं रांझी थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल के सामने बीती रात तेज रफ्तार टेंकर चालक ने स्कूटी युवक को कुचल दिया और घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया हादसे में उसकी मौत हो गई। माढ़ोताल सूरतलाई पड़वार मोड़ के पास शनिवार दोपहर धर्म कांटे के सामने तेज रफ्तार बस ने पहले ऑटो को टक्कर मारी इसके बाद बाइक चालक को कुचल को रौंद दिया। पांच यात्री भी घायल हुए। कुंडम थाना क्षेत्र में हुए सड़क में एक की मौत हो गई। पनागर में बाइकों की भिड़ंत में दो लोग घायल हुए। रांझी पुलिस के मुताबिक विशाल शर्मा 35 वर्ष निवासी रावण पार्क काली मंदिर के पास रांझी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शुक्रवार रात लगभग 11 बजे वह अपनी कार से सतपुला की तरफ से रांझी आ रहा था उसके आगे पहचान का अखिलेश उर्फ रिंक चौरसिया स्कूटी क्रमांक एमपी 20 एस आर 7412 से रांझी तरफ आ रहा था जैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल के सामने रोड पर पहुंचे उसी समय टेंकर का चालक तेज गति लापरवाही से चलाते हुये अखिलेश चौरसिया की स्कूटी में टक्कर मार दिया जिससे अखिलेश चौरसिया 45 वर्ष निवासी गांधी व्यायाम शाला रांझी को सिर, शरीर में गंभीर चोटें आ गई और उसकी मौत हो गई। वहीं कुंडम पुलिस ने बताया कि बलराम झारिया 20 वर्षीय निवासी सातावेली का निवास रोड मुक्तिधाम के पास शनिवार को सुबह 8 बजे एक्सीडेंट हो गया जिसे उपचार के लिए कुण्डम लेकर जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सड़क हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुई इसका पता नहीं चल सका है मामले की जांच जारी है। वही पनागर थाने में जगदीश प्रसाद बर्मन निवासी लार्डगंज ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उर्दुआ खुर्द मोड़ के पास बाइक क्रमांक एमपी 20 एम जेड 7136 के चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी जिससे गोविन्द चौधरी एवं शांतनु को चोट आ गई।

बाइक चालक पर चढ़ाई बस, टक्कर से ऑटो पलटी

माढ़ोताल सूरतलाई में शनिवार दोपहर एक बजे बेकाबू बस ने बाइक चालक को रौंद दिया। इसके बाद ऑटो में टक्कर मार दी। जिससे ऑटो पलट गया। बाइक चालक की मौत हो गई। ऑटो सवार पांच लोग घायल हो गए। हादसे से मौके पर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बाद में घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। टीआई वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि यात्री बस क्रमांक एमपी 15 जेड एफ 3254 जबलपुर से सागर यात्रियों को लेकर जा रही थी। बस जैसे ही सूरतलाई पहुंची तभी चालक ने वाहन को लापरवाही पूर्वक एवं तेज रफ्तार में वाहन को चलाते हुए बाइक चालक पर बस चढ़ा दी। हादसे में बाइक सवार अनिकेत चढ़ार 35 वर्षीय निवासी सहजपुर भेड़ाघाट की मौत हो गई। इसके बाद ऑटो क्रमांक एमपी 20 आर 7107 को पीछे से टक्कर मार दी। जिससे ऑटो पलट गई। हादसे में ऑटो चालक अजय अहिरवार समेत ऑटो में सवार कमलेश कौल, सपना, पांच वर्षीय श्रीकांत, दो वर्षीय सोनू को चोटें आई जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

हैदराबाद से चंदापुर लौट रहे थे, चालक ने बढ़ाई स्पीड तो हुआ एक्सीडेंट

वहीं सिहोरा पुलिस ने बताया कि अरबाज 24 वर्ष निवासी चंदापुरा सीकमपुर मिलक थाना टांडा जिला रामपुर उत्तर प्रदेश ने सूचना दी कि वह फेब्रिकेशन का काम हैदराबाद में करता है। शुक्रवार को साथी सलमान अली 25 वर्ष, मोहसीन अली 25 वर्ष शाहरूख 24 वर्ष, जमशेद आलम 28 वर्ष के साथ चालक वाहन स्वामी मोहम्मद आजम 37 वर्ष निवासी चंदापुरा सीकमपुर मिलक थाना टांडा जिला रामपुर की अर्टिका कार क्रमांक यूपी 22 ए वी 8558 से हैदराबाद से अपने घर चंदापुर जा रहे थे शनिवार सुबह लगभग 7 बजे जैसे ही उल्दना ब्रिज के पास एनएच 30 रोड पर पहुॅंचे तो कार का चालक मोहम्मद आजम तेज गति लापरवाही पूर्वक चलाते हुये रोड किनारे लगे बोर्ड में टक्कर मार दिया जिससे सलमान अली 25 वर्ष निवासी चंदापुरा को चोटें आ गयी जिसे पर उपचार के लिए शासकीय अस्पताल सिहोरा ले गये जहॉं डॉक्टर ने चैक कर सलमान अली को मृत घोषित कर दिया।

नवभारत

आवश्यकता है

पद की योग्यता

देश के अनेक राज्यों से प्रकाशित नवभारत समाचार पत्र समूह के जबलपुर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।

एकाउंटेंट
(2 वर्ष का अनुभव एवं बी.कॉम. व टेली)

डीटीपी ऑपरेटर
(5 वर्ष का अनुभव एवं कोरल ड्रा अनिवार्य)

मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव
(3 वर्ष का अनुभव एवं बी.कॉम/ बीबीए)

सर्कुलेशन एग्जीक्यूटिव
(2 वर्ष का अनुभव एवं बीए/बी.कॉम)

नोट- स्वयं का वाहन और कम्प्यूटर में दक्षता अनिवार्य।

ऑफिस बाय
(5 वर्ष का अनुभव एवं 10 वीं पास)

संपर्क करें

कार्यालय- नवभारत प्रेस, चौथापुल, महर्षि स्कूल के सामने, जबलपुर
(दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक)

9752721239, 8305852507, 9109700824
hr.navabharat1934@gmail.com

विधायक के बयान ने कांग्रेस की सोच संस्कृति पर खड़ा किया प्रश्न चिह्न

भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने साधा तीखा निशाना

नवभारत,जबलपुर। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का बयान किसी क्षणिक भूल का परिणाम नहीं, बल्कि महिलाओं और एससी-एसटी समाज के प्रति उनकी बीमार, विकृत और आपराधिक सोच को उजागर करता है। ऐसे शब्द लोकतंत्र में अस्वीकार्य ही नहीं, दंडनीय हैं। महिला कोई वस्तु नहीं, कोई प्रदर्शन की चीज नहीं-वह सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की प्रतीक है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का यह बयान अब किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह कांग्रेस की सोच और संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह सारी बातें भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अश्वनी पराँजपे ने भाजपा कार्यालय रानीताल में शनिवार को पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कही।

इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष श्रीमती रूपा राव, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्रीमती अर्चना अग्रवाल, जिला मीडिया प्रभारी श्रीकान्त साहू, रवि शर्मा, चित्रकान्त शर्मा उपस्थित थे।

पूरे नारी समाज का किया है अपमान

श्रीमती पराँजपे ने कहा कांग्रेस विधायक का यह बयान पूरे नारी समाज का अपमान है। एससी-एसटी समाज की महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को इस तरह महिमामंडित करना संविधान, कानून और मानवता-तीनों का अपमान है। यह सोच बताती है कि कांग्रेस कितनी असंवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने विगत 14 जनवरी को भोपाल में आयोजित दलित एजेंडा कार्यक्रम में बोला था कि संयुक्त चुनाव प्रणाली से एससी-एसटी विधायक कुत्ते जैसी हालत में हैं, इसलिए आदिवासियों को हिंदू न बनने दिया जाए।

आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर

जबलपुर। हाईकोर्ट ने ग्राम लम्हेटाघाट के कोटवार डब्बल प्रसाद चडार के हक में यथास्थिति का आदेश पारित किया था। इसके बावजूद अपीलकर्ता कोटवार की सेवाभूमि पर गोलू व सुरेंद्र चक्रवर्ती ने अवैधानिक तरीके से कब्जा करने की नीयत से फसल चौपट कर दी। इस संबंध में कलेक्टर व तहसीलदार गोरखपुर को सूचना पत्र के जरिए वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। वे छात्रचित्र भी संलग्न किए गए हैं, जो हाई कोर्ट के यथास्थिति के पूर्व आदेश के उल्लंघन को बयां कर रहे हैं। सवाल उठता है कि जब अपील युगलपीठ के समक्ष लंबित है, तो उसमें पारित अंतरिम आदेश का परिपालन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित क्यों नहीं कराया गया। चूंकि यह रवैया अवमानना की परिधि में आता है, जिस पर अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है।

बिना स्वीकृति कॉलोनी बना 27 भूखंडों को बेचा

▶ **पनागर पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर**

जबलपुर। महाराजपुर में बिना समक्ष स्वीकृति के कॉलोनी बनाने के बाद 27 भूखंडों को बेचने वाले बिल्डर के खिलाफ पनागर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक तहसीलदार पनागर ने लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें बताया गया कि गौरव शर्मा निवासी ग्राम झुरझुरू ग्राम पंचायत निपनिया, कृष्णा कॉलोनी पनागर के द्वारा महाराजपुर कॉलोनी बनाई। 27 भू-खण्ड निर्मित करते हुए रोड, नाली, विद्युत व्यवस्था कर बिना विधिवत अनुमति भूमि का विक्रय करते हुये मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 का उल्लंघन किया है। प्रतिवेदन पर गौरव शर्मा निवासी ग्राम झुरझुरू ग्राम पंचायत निपनिया, कृष्णा कॉलोनी, पनागर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

विदित हो कि कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर आम नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले सात कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 98 अवैध कोलनियों को चिन्हित किया गया है। जिनके खिलाफ लगातार प्रकरण दर्ज किए जा रहे है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57